

कार्यालय

आयकर आयुक्त,
'आयकर भवन', सिटी सेंटर, ग्वालियर

फा० सं आ० आ० / ग्वा० / तकनीकी / 80जी / 07-08 / 48/14 / 3728

दिनांक 22-11-07

प्रति
सचिव,
बाल महिला विकास समिति
14, श्रीकृष्ण धर्मशाला रोड,
पड़ान, ग्वालियर.

महोदय,

विषय - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अधीन प्रमाण पत्र -

इस कार्यालय में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31-05-2007 के सदर्भ में आपकी सूचित किया जा रहा है कि बाल महिला विकास समिति, 14, श्रीकृष्ण धर्मशाला रोड, पड़ान को दिये गये दान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानदाता के निर्धारित सीमाओं तक कर मुक्त रहेगी।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01-04-07 से 31-03-2010 तक वैध रहेगा। कार्यालय के पत्रक में उक्त आशय की प्रविष्टि सरल क्रमांक 48/14/2007-08 पर अंकित की गयी है।

यह प्रमाण पत्र की वैध निम्न शर्तों के पूरे न होने पर प्रभावहीन होगी -

1. दानदाता को दी गयी पावती पर उक्त प्रमाणपत्र के क्रमांक व दिनांक तथा वैधता अंकित करना होगा।
2. आयकर विवरणी एव आय व्यय सबधी वार्षिक लेखा संबंधित कर निर्धारण अधिकारों व समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु संबंधित निर्धारण अधिकारी के माध्यम से पुन आवेदन लेखा प्रतियों (अपेक्षित तुलन पत्र, आय व्यय लेखा सत्यापन विवरण) के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। समिति/अस्त द्वारा नियमांश किन्तु गणना संबंध में व्यवस्थापक द्वारा इस संबंध में सहायक आयकर आयुक्त, रेंज-3 ग्वालियर एक माह की अवधि के भीतर सूचित करना होगा।



W. S. ...
आयकर आयुक्त